न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 480 सन 2017

अनवान :–

1. रूकमण पुत्री चौथूराम पत्नि देवीलाल जाति कुम्हार निवासी हाल बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चौथूराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी चक देइदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
2. रामचन्द्र 3. सुरेन्द्र 4. राधेश्याम पि चौथुराम जाति कुम्हार निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता वादी
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खसरा न0 335/4 की 1.8100हैक भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के सयुंक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है जो प्रतिवादी सख्या 1 के सयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का पैदायशी हक हिस्सा है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा हनुमानप्रसाद के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि दर्ज है।

वाद भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के हकों को नुकसान पहुचान के लिये कभी भी वाद भूमि रहने बेय कर सकता है इसलिये वादीया प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकल नही करे।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वाद भूमि पैतृक भूमि नही है जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सही तौर से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में वादीया किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है वादीया ने अपने वाद में गलत तथ्य अंकित किये गये है। वादीया वाद ग्रस्त भूमि की किसी प्रकार की टिनेन्ट नही है ना ही वादीया का वाद अन्दर मियाद है। वादीया ने वादग्रस्त भूमि में संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 2005 जो दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ था के आधार पर पैतृक सम्पति में हक हिस्सा होना मानकर वादीया ने वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उक्त संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 2005 भारत सरकार ने दनिांक 13.05.2015 को सम्पूर्ण रिफेल कर दिया है अब लडकियों को पैतृक सम्पति में कोई हक हिस्सा नही होगा इसलिये वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में दावा लोन का कोइ अधिकार नही है वाद वादिया काबिल खारीज है।

पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण का जबाब दावा पेश होने पर वादीया के वाद व प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निन्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि चक देईदासपुरा के खसरा न0 355/4 की 1.8100हैक भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीया का पैदाईश हक है।? वादीया
2. आया वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा को वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।? वादीया
3. आया वादिया वादग्रस्त भूमि के बाबत निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है ? वादीया
4. आया वादिया वादग्रस्त भूमि का खाता तक्सीम कराने की अधिकारी है।? वादीया
5. आया वादिया किसी भी श्रेणी की टिनेन्ट नही है।? प्रतिवादी
6. आया लडकियों का पैतृक सम्पति में पैदाईशी हक नही होता है।? प्रतिवादी
7. दादरसी

तनकी कायम होने के उपरान्त उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादीया ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से प्रतिवादी संख्या 1 ने शपथपत्र पेश किया जिस पर जिरह वादीया के द्वारा की गई साक्ष्य पूर्ण होने पर उभयपक्षों की बहस सुनी गइ ।

वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खसरा न0 335/4 की 1.8100हैक भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के सयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है जो प्रतिवादी सख्या 1 के सयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का पैदायशी हक हिस्सा है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा हनुमानप्रसाद के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि दर्ज है।

वाद भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
बांदीकुई

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक भूमि नही है जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सही तौर से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में वादीया किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है वादीया ने अपने वाद में गलत तथ्य अंकित किये गये है। वादीया वाद ग्रस्त भूमि की किसी प्रकार की टिनेन्ट नही है ना ही वादीया का वाद अन्दर मियाद है। वादीया ने वादग्रस्त भूमि में संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 2005 जो दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ था के आधार पर पैतृक सम्पति में हक हिस्सा होना मानकर वादीया ने वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उक्त संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 2005 भारत सरकार ने दनिांक 13.05.2015 को सम्पूर्ण रिफेल कर दिया है अब लडकियों को पैतृक सम्पति में कोई हक हिस्सा नही होगा इसलिये वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में दावा लोन का कोइ अधिकार नही है वाद वादिया काबिल खारीज है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उभयपक्षों के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है ।

1. तनकी न0. 1 – को साबित करने का भार वादीया पर था वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वर्तमान जमाबन्दी में वाद भूमि वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग रही मौजा चक देईदासपुरा के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा हनुमान प्रसाद के नाम से दर्ज है अर्थात वादीया के दादा हनुमान प्रसाद के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि पैतृक सम्पति होना पूर्णतया साबित है एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर के हकदार है अर्थात दादा की सम्पति में पोते /पोतियों का बराबर का हक हिस्सा होगा अतः तनकी न0 1 वादीया के द्वारा साबित करने के कारण तनकी न0 1 वादीया के पक्ष में तय की जाती है।
2. तनकी न0 2– को साबित करने का भार वादीया पर था तनकी न0 1 में यह साबित हो चुका है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में उनके वारिसान का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बराबर अर्थात प्रत्येक 1/5 हिस्सा के हकदार है अतः तनकी न0 1 भी वादीया के द्वारा साबित करने के कारण वादीया के पक्ष में तय की जाती है।
3. तनकी न0 3– को साबित करने का भार वादीया पर तनकी न0 1 ,2 में साबित हो चुका है कि वाद भूमि में वादीया 1/5 हिस्सा की हकदार है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके कारण वह कभी भी वाद भूमि को रहन बेय कर सकते है जिससे वादीया का क्षति हो सकती है वादीया के हकों को सुरक्षित रखने हेतु वादीया प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है अतः तनकी न0 3 भी वादीया के पक्ष में तय की जाती है।
4. तनकी न0 4– का साबित करने का भार वादीया पर था वादीया ने खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के

नाम से दर्ज है वादीया का हक हिस्सा वादीया के नाम से दर्ज नही है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद ही खाता विभाजन करवाने की अधिकारी है अतः तनकी न0 4 आंशित तौर से वादिया के पक्ष में तय की जाती है।

5. तनकी न0 5 ,6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था प्रतिवादी ने मात्र कथन किया है कि वाद भूमि पैतृक नही है जबकि तनकी न0 1 में साबित हो चुका है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है और वादीया का वाद भूमि में हक हिस्सा है अर्थात हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर के हकदार है अर्थात दादा की सम्पति में पौते /पोतियों का बराबर का हक हिस्सा होगा अतः तनकी न0 5 ,6 प्रतिवादी साबित नही करने के कारण तनकी न0 5 ,6 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन में पूर्णत्या साबित हो चुका है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता हनुमान प्रसाद से विरास्तन से प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति पूर्णतया साबित हो चुकी है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर के हकदार है अर्थात दादा की सम्पति में पौते /पोतियों का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात वाद भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि पाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मोजा चक देईदासपुरा के खसरा न0 355/4 की कुल 1.8100हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यापन

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूकमण पुत्री चौथूराम पत्नि देवीलाल जाति कुम्हार निवासी हाल बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चौथूराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी चक देइदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
2. रामचन्द्र 3. सुरेन्द्र 4. राधेश्याम पि चौथुराम जाति कुम्हार निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 480 सन 2019 निर्णय दिनांक– 13/3/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि योही मोजा चक देईदासपुरा के खसरा न0 355/4 की कुल 1.8100हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)